

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़

पत्रांक ८१५५७/जि०का०का०/2026-27

दिनांक २१ अगस्त 2026

विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या -/2025/3313/58-1-2025(1917687) लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 द्वारा समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदनोपरान्त जनपद आजमगढ़ में रिक्त 66 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों का विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनारक्षित	अ०वि०वर्ग	अ०जा०	अ०ज०जा०	योग
1	अहिरौला	2	0	0	0	2
2	अतरौलिया	1	1	0	0	2
3	आजमगढ़ शहर	1	4	2	0	7
4	अजमतगढ़	1	0	1	0	2
5	बिलरियागंज	2	2	1	0	5
6	हरैया	2	0	0	0	2
7	जहानागंज	0	0	0	0	0
8	कोयलसा	0	0	0	0	0
9	लालगंज	0	0	3	0	3
10	महराजगंज	0	0	0	0	0
11	मार्टीनगंज	0	1	0	0	1
12	मैंहनगर	6	0	0	0	6
13	मिर्जापुर	0	0	0	0	0
14	मुहम्मदपुर	1	0	0	0	1
15	पल्हना	2	1	0	0	3
16	पल्हनी	3	2	1	0	6
17	पवई	0	0	0	0	0
18	फूलपुर	0	1	0	0	1
19	रानी की सराय	1	1	1	0	3
20	सठियांव	5	2	0	0	7
21	तहबरपुर	3	2	1	0	6
22	तरवां	2	1	1	0	4
23	टेकमा	3	1	1	0	5
	Total :	35	19	12	0	66

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड, परियोजना इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की गयी है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश-

1. चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अनुभाग उ०प्र० के शासनादेश संख्या- /2025/3313/58-1-2025(1917687) लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी।
2. विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
3. रिक्त पदों (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। मेरिट/वरीयता शासनादेशानुसार निर्धारित की जायेगी।
4. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।



5. आवेदिका की आयु दिनांक 01-07-2026 को निर्धारित कट ऑफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> ऑनलाइन आवेदन पर फॉर्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
7. विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 सितम्बर 2026 मध्य रात्रि 12.00 बजे तक होगी।
8. उपरोक्त विज्ञापित पदों की संख्या अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
9. विज्ञापित पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
10. विधवा हेतु ग्रामपंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी, तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) का अनुपालन किया जायेगा। तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाईन सत्यापन सम्भव हो। आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11 राज0-9 दिनांक 30.09.2011 (यथासंशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
11. उपरोक्त पदों पर भर्ती शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार तैयार की गयी मेरिट के आधार पर होगी। इसके लिये कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
12. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पद पूर्णतः मानदेय पर आधारित है जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सेवा नियमावली लागू नहीं होगी तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
13. अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि आवेदन करने के पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर ले जिससे किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके।
14. ऑनलाईन आवेदन में वेबसाइट पर भरी गयी सूचना ही चयन के लिये प्रयोग की जायेगी। कोई भी अभिलेख ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(हेमन्त सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

पृष्ठांकन पत्र संख्या /

तददिनांक 22-8-2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़।
4. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी जनपद आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त की एक प्रति अपने कार्यालय बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद आजमगढ़ के पृष्ठ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पदों पर विज्ञापित न्यूनतम दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के साथ भुगतान हेतु बिल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) आजमगढ़।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, जनपद-आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त रिक्त पद की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
आजमगढ़